कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

विज्ञप्ति

सर्व साधारण के सूचनार्थ विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है कि शासनादेश संख्या–1450/15–7–2015–1(10)/2015 शिक्षा–7 अनुभाग, लखनऊ दिनांकः 03 अगस्त,2015 के अनुपालन में माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा संचालित वर्ष 2017 की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ऑनलाइन अपलोड करने की **समय सारिणी** निम्नवत् निर्धारित की जाती है :–

संस्थागत/व्यक्तिगत छात्र/छात्राओं हेतु	निर्धारित अन्तिम तिथि
1– संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा छात्र/छात्राओं का कक्षा–10 एवं 12 में प्रवेश लेने तथा परीक्षा शुल्क प्राप्त करने की अन्तिम तिथि।	05 अगस्त,,2016 तक
2– संस्था के प्रधान द्वारा समस्त अर्ह छात्र/छात्राओं से प्राप्त परीक्षा शुल्क को एक मुश्त चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करने की अन्तिम तिथि।	10 अगस्त,2016 तक
3– संस्था के प्रधान द्वारा कोषागार में जमा किये गये परीक्षा शुल्क की सूचना तथा छात्र/छात्राओं के शैक्षिक विवरणों को परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ऑनलाइन अपलोड करने की अन्तिम तिथि।	16 अगस्त,2016 तक (मध्यरात्रि 12.00 बजे तक)
4– 10 अगस्त,,2016 के पश्चात प्रति छात्र रुपया 100/– (एक सौ मात्र) विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करने की अन्तिम तिथि।	16 अगस्त,2016 तक
5– विलम्ब शुल्क के साथ जमा परीक्षा शुल्क की सूचना तथा छात्र/छात्राओं के शैक्षिक विवरण वेबसाइट पर आनलाइन अपलोड करने की अन्तिम तिथि।	20 अगस्त,2016 तक (मध्यरात्रि 12.00 बजे तक)
6– वेबसाइट पर आनलाइन अपलोड किये गये छात्र/छात्राओं के विवरणों की चेकलिस्ट प्राप्त कर संस्था के प्रधान द्वारा उनके विवरणों (नाम, माता/पिता का नाम, जन्मतिथि, विषय, फोटो आदि) को भली–भांति चेक (जाँच) करने की अवधि। इस अवधि में वेबसाइट पर किसी भी प्रकार का अपडेशन प्रतिबन्धित रहेगा।	21 अगस्त से 31 अगस्त,2016 तक
7– ऑनलाइन अपलोड किये गये छात्रों के विवरणों में जांचोपरान्त यदि किसी प्रकार का संशोधन वांछित है तो उसे संस्था के प्रधान द्वारा पुनः वेबसाइट पर संशोधित/अपडेट करने की अवधि। इस अवधि में किसी नवीन छात्र का विवरण अपलोड/स्वीकार नहीं किया जायेगा। केवल संशोधन ही स्वीकार किये जायेगें।	01 सितम्बर से 10 सितम्बर,2016 तक (मध्यरात्रि 12.00 बजे तक)

उपर्युक्त निर्धारित तिथि/व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को वेबसाइट पर उपलब्ध व्यक्तिगत परीक्षा आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड करके उसे पूरित करते हुये अपने शैक्षिक अर्हता के साक्ष्यों सहित परीक्षा शुल्क की नकद धनराशि अग्रसारण केन्द्र के प्रधानाचार्य को प्राप्त कराना होगा। तदनुसार उपरोक्त निर्धारित अवधि में अग्रसारण अधिकारी (प्रधानाचार्य) द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

S.yadav 06/7/16

श्रीमती (शैल यादव)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–मा0शि0प0/सिस्टम सेल/288(1-9) दिनांकः 06 जुलाई,2016

उपर्युक्त विज्ञप्ति की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– प्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्र के सम्पादकों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति जनहित से सम्बन्धित है। अतएव इसे अपने दैनिक समाचार पत्र के समस्त संस्करणों में प्रमुख स्थान पर निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

2– अनु सचिव, शिक्षा–7 अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

3– अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार), पत्राचार शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

4– अपर शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।

5– वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (मा0), शिविर कार्यलय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।

6– समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

7– अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ/बरेली/इलाहाबाद/वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार करायें।

8– समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

9– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि विज्ञप्ति अपने जनपद मे व्यापक रूप से प्रसारित करायें। संस्था के प्रधान द्वारा सभी अभ्यर्थियों के परीक्षा शुल्क का कोषपत्र 5 प्रतियों में तैयार करके अपने ही जनपद के कोषागार में जमा किया जायेगा। कोषपत्र की दो प्रति कोषागार में, एक प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक के पास, एक प्रति नामावली के साथ परिषद कार्यालय को प्रेषित की जायेगी तथा एक प्रति संस्था के प्रधान द्वारा विद्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जनपद के समस्त संस्था से संकलित कोषपत्रों का सत्यापन अधिकतम एक माह के अन्दर कोषागार से कराया जायेगा, सत्यापन की वस्तुस्थिति/संस्तुति से परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय सचिव को अवगत कराया जायेगा। संस्था के प्रधान द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात वेबसाइट से डाउनलोड की गयी नामावली तथा कोषपत्र की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा की जायेगी।

06/7/16

श्रीमती (शैल यादव)
सचिव।